

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या - 147/2025 (प्रार्थना पत्र)

दायर दिनांक - 18/12/2025

निर्णय दिनांक - 18/12/2025

अनवान

1. मांगीलाल पिता छोगा जाति कलाल निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार मण्डल लसानी के खाता संख्या 258 के खसरा संख्या 943 में सहखातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खाते में प्रार्थी का नाम मांगु पिता छोगा जाति कलाल दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थी मांगीलाल पिता छोगा शुद्धि कराए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम लसानी के खाता खाता संख्या 258 के खसरा संख्या 943 में मांगु पिता छोगा दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, में प्रार्थी का नाम मांगीलाल पिता छोगा दर्ज है। अतः ग्राम लसानी के खाता संख्या 258 के खसरा संख्या 943 में मांगु पिता छोगा के बजाय मांगीलाल पिता छोगा दर्ज किया जाने की अनुशंसा की गई। इसी क्रम में मांगीलाल पिता छोगा, नर्बदादेवी पति बाबुलाल कलाल के बयान लेखबद्ध किए गए। राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः उक्त दस्तावेजों के अवलोकन अनुसार प्रार्थी का मांगु के स्थान पर मांगीलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है।

--:आदेश:-

अतः धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए ग्राम लसानी के खाता संख्या 258 के खसरा संख्या 943 में मांगु पिता छोगा के स्थान पर मांगु उर्फ मांगीलाल पिता छोगा नाम दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदनुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तदनुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।



(मोहकमसिंह सिनसिनवार, R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़  
जिला राजसमन्द (राज.)